

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 818 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DHARMENDER KUMAR SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 04.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 09.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE REPORT DT. 21.08.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.	
4.	COPIES OF THE GOOGLE MAP ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.	

DATE: 13.05.2025

PLACE: KASHI

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 818 /2024

IN THE MATTER OF:

DHARMENDER KUMAR SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & OTHERS

.....RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 04.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, *Dilip Kumar*..... aged about *59* years S/o *Lal Bahadur Lal*.....
 presently posted as *Divisional Forest Officer Kashi with life division* do hereby
 solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the undersigned has been duly authorised to file the present affidavit on behalf of the Member Secretary, Uttar Pradesh State Wetland Authority vide letter dt. 09.05.2025.



A Copy of the letter dt. 09.05.2025 has been annexed herewith as
ANNEXURE A-1.

2. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.
3. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is considering the issue of protection of Surha Tal which is a wet land and the allegation that by the construction of a University and garbage disposal centre, there is an attempt to block the channels of rejuvenation of Surha Tal and, consequently effect on the Bird Sanctuary.
5. That the present matter was last listed on hearing on 04.02.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"3.....We also required Respondent No. 4 and 5 to file the comprehensive report dealing with the issue involved in the matter within



JK

4 weeks, failing which Respondent No. 4 and 5 will appear virtually on the next date of hearing.....”

6. That it is relevant to submit that the Surha Tal Wetland is situated in District Ballia and as per the National Wetland Atlas, 2010, the area of the said Wetland is 2270.64 hectares.


7. That the applicant has raised apprehension that construction of a university and a Garbage Disposal Centre may obstruct water sources flowing into the Surha Tal Wetland, thereby affecting the water inflow and the ecological balance. In this regard, a report was sought from the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi, who exercises administrative control over the said Bird Sanctuary. That subsequently, the office of the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi, vide Letter No. 696/31 dated 21.08.2024 has submitted a report. That the said report states as under:
 - The Surha Tal Wetland, which has been notified as a Protected Area under the Wildlife (Protection) Act, 1972, includes a partial area where various constructions for the university have been permitted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change,



JV

Government of India, vide letter No. F.No. WL-6/144/2023-IV1 dated 08.12.2023.

- The Garbage Disposal Centre has been constructed on Plot Nos. 481/2.56, 482/1.90, 580/1/0.30, and 581/0.22 with a total area of 4.98 acres as recorded in Account No. 110, in the name of Nagar Palika Parishad, Ballia. The centre is enclosed on all sides with a boundary wall and is located approximately 1000 to 1200 meters away from the aquatic zone of Jay Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary. The waste collected at the centre is segregated and composted in an environmentally sound manner in compliance with environmental norms.
- The area around the Garbage Disposal Centre is used by local farmers for agricultural purposes, and no waterlogging has been observed in the vicinity. Hence, no movement of domestic or migratory birds has been recorded in this area.
- The elevation of the Garbage Disposal Centre is approximately 2.50 meters higher than the current water level of Surha Tal Bird Sanctuary.
- The channels of the Surha Tal Wetland/Bird Sanctuary have not been obstructed, nor has the flow of water been affected.



82

A Copy of the report dt. 21.08.2024 has been annexed herewith as
ANNEXURE A-2.

8. That it is pertinent to mention that a Google Map showing the location of the university and the Garbage Disposal Centre in relation to the Surha Tal Wetland has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**
9. That it is most respectfully submitted that the "Kathal Nala" serves as the inlet channel for the wetland. During monsoon, water from the Ganga River enters the Surha Tal Wetland through this nala. The nala has also been depicted on the map (*Annexure A-3*), which clearly shows that the university and the Garbage Disposal Centre are situated at a distance from it.
10. That it is further submitted that as per Clause 2, sub-clause 4(i) of the guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for implementation of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, these Rules shall not be applicable to areas already covered under the Wildlife (Protection) Act, 1972. As Surha Tal is a protected area under the said Act, the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 are not applicable to it.

Sw



11. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

12. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at kashi on this 13th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT




**ATTACHED
KASHI
NOTARY PUBLIC
13 MAY 2025**

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- 115/26-11(UPSWA)-2024-25 लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-818/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-35/26-11(UPSWA) दिनांक 25.10.2024 एवं पत्रांक-76/26-11(UPSWA) दिनांक 25.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 नं0-818/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 द्वारा सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या-5 बनाया गया है। इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.10.2024, 25.02.2025 द्वारा ओ0ए0 नं0-818/2024 में सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की आख्या की ई-फाइलिंग मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रेषित करने के निर्देश वन संरक्षक, मेरठ को दिये गये थे एवं पृष्ठांकन आपको भी किया गया था। यह कार्य अभी भी लम्बित है।

ज्ञातव्य है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.02.2025 में पुनः 04 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में प्रेषित आख्या में अतिरिक्त तथ्यों का समावेश करते हुए परिमार्जित आख्या पुनः प्रेषित की जा रही है।

अतः कृपया ओ0ए0 संख्या-818/2024 में सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की ओर से आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल करना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश की प्रतियाँ एवं सुसंगत अभिलेख/आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक - उपरोक्त पत्र

भवदीय,

(नीरज कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- _____/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता।

(नीरज कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी
पत्रांक : 696 / 31 रामनगर, दिनांक, अगस्त 21, 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
ईको विकास/सदस्य सचिव,
उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-818/2024 जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, सुरहाताल, बसन्तपुर, बलिया उ०प्र० के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व तालाब के अन्दर जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, कूड़ा निस्तारण केन्द्र, बलिया का निर्माण कार्य व ताल क्षेत्र में आने वाले जलमार्गों व नालों को रोकने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ का पत्र संख्या-07/26-11 (UPSWA)-65/2023-24 लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई 2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विषयक प्रकरण इस कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-453/10-1, दिनांक 03.08.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया है। विषयक प्रकरण में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० एवं राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ०प्र० के स्तर से दाखिल किये जाने हेतु तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट निम्नवत है -

जहाँ तक आवेदक की शिकायत सुरहाताल (मुख्य तालाब) में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के निर्माण/जीर्णोद्धार का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र-F.No.WL-6/144/2023-WL, दिनांक 08 दिसम्बर 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न शर्तों के तहत उक्त कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

2. कूड़ा निस्तारण केन्द्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी, सदर बलिया के पत्र संख्या-230/आ०ले०-उ०जि०ब०, दिनांक 20.05.2023 के उल्लेखानुसार कूड़ा प्रबन्धन प्लांट मौजा-बसन्तपुर एहतमाली, परगना व तहसील-बलिया के आधार पर वर्ष खतौनी खाता संख्या-110 में अंकित गाटा संख्या-481/2.56, 482/1.90, 580/1/0.30, 581/0.22 कुल 04 गाटा, रकबा-4.98 एकड़ में से 4.56-1/2 एकड़ पर नगर पालिका बलिया का नाम अंकित है, जिस पर कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बना हुआ है, उक्त भूमि/प्लांट सरकारी अभिलेखों में नगर पालिका परिषद्, बलिया के नाम दर्ज है तथा चारों तरफ से बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। वर्तमान समय में जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार के जलीय क्षेत्र से

क्रमशः.....2

(2)

उक्त कूड़ा निस्तारण केन्द्र के गाटों की दूरी लगभग 1000 मीटर से 1200 मीटर है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र पर संकलित किये गये कूड़े का अलग-अलग छँटनी कर कम्पोस्ट खाद बनाया जाता है तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आवश्यक मानकों का अनुपालन किया जाता है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र के आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय कृषकों द्वारा खेती-बाड़ी का कार्य किया जाता है तथा कूड़ा निस्तारण केन्द्र के आस-पास कहीं पर भी जलभराव नहीं है। इस कारण देशी/विदेशी पक्षियों का आवागमन भी इस क्षेत्र में नहीं है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र का स्थान जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के वर्तमान जल स्तर के सापेक्ष लगभग 2.50 मीटर ऊँचा है। टीम द्वारा संयुक्त रूप से कूड़ा निस्तारण केन्द्र, ग्राम-बसन्तपुर एहतमाली को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा से बाहर किये जाने की संस्तुति की गयी है। तदक्रम में उपजिलाधिकारी/वन बन्दोवस्त अधिकारी, बाँसडीह, बलिया द्वारा अपने आदेश संख्या-1208 (1), दिनांक 22.12.2023 के माध्यम से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-24 2(क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त गाटों को उपरोक्त अधिनियम की धारा-18 से पृथक कर दिया गया है, जिसकी प्रति जिलाधिकारी, बलिया तथा इस कार्यालय व तहसीलदार, बलिया को पृष्ठांकित है, सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त की (छायाप्रति संलग्न) है।

उपरोक्तानुसार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सुरहाताल एक आर्द्रभूमि क्षेत्र के अन्तर्गत तालाब के पुनरुद्धार के लिए चैनलों को अवरुद्ध नहीं किया गया है और न ही पानी के प्रवाह को प्रभावित किया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिलीप कुमार),

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,

वाराणसी।

पत्रांक : _____ / _____ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर महोदय को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बलिया को उनके दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में मय संलग्नकों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिलीप कुमार),

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,

वाराणसी।

ANNEXURE A-3

- Katahal Nala 
- University 
- Garbage Disposal Center 

